

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना सं०-प्र०-०१/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-०८/२०१६(खण्ड) 287 /पटना, दिनांक-18/9/26

- ::अधिसूचना:: -

“बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त(रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली २०२५” में निहित प्रावधान के तहत लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा के निम्नांकित कार्यरत सहायक अभियन्ता(असैनिक) को १० वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित तिथि से वेतन स्तर-११ में प्रथम एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम/ आई० डी०/गृह जिला/ वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/ प्रथम योगदान की तिथि/ से०नि० तिथि	स्वीकृत वित्तीय उन्नयन (MACP)/वेतन स्तर एवं देय तिथि	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१.	श्री मनीष कुमार मंजुल/ ५१२३/पटना/ ०२/२०२५	०२.०६.१९८० १३.०९.२००८ ३०.०६.२०४०	MACP-1 दिनांक-०१.०७.२०२६ से वेतन स्तर-११ में स्वीकृत ।	
२.	श्री रोबिन कुमार तिवारी/ C140003/धनबाद(झारखण्ड)/ २१/२०२५	०२.०५.१९८५ २१.०२.२०१४ ३१.०५.२०४५	MACP-1 दिनांक-०१.०७.२०२६ से वेतन स्तर-११ में स्वीकृत ।	
३.	श्री गजेन्द्र कुमार यादव/ C140006/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/ २४/२०२५	२५.०७.१९८५ १०.०५.२०१४ ३१.०७.२०४५	MACP-1 दिनांक-०१.०७.२०२६ से वेतन स्तर-११ में स्वीकृत ।	
४	श्री प्रवेश कुमार /C140026/कटिहार/ ४४/२०२५	१८.०४.१९७७ २६.०२.२०१४ ३०.०४.२०३७	MACP-1 दिनांक-०१.०७.२०२६ से वेतन स्तर-११ में स्वीकृत ।	

२. संबंधित पदाधिकारियों के प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि उनके विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश के कुप्रभाव अवधि के अन्तर्गत पड़ने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-२९१० दिनांक- २८.०२.२०२२ की कंडिका-३(iii)(ग) के आलोक में प्रथम एम०ए०सी०पी० दिनांक-०१.०७.२०२६ के प्रभाव से वेतन स्तर-११ में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

३. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत है, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है ।

४. संबंधित पदाधिकारी को आर्थिक लाभ स्वीकृत करने एवं वेतन पूर्जा निर्गत करने के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार अपने स्तर से अभियन्ता के प्रथम योगदान की तिथि, सेवा में टूट, दंडादेश आदि के संबंध में यथा आवश्यक जाँचकर तदनुसार अग्रतः कार्रवाई करेंगे ।

क०पृ०३०

5. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट वेतन/वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं 630 दिनांक-21.01.2010 के आलोक में मौलिक नियमवाली के नियम-22(1)(ए)(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेगें अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से ।

अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर यह विकल्प लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है ।

6. संबंधित पदाधिकारी के संबंध में वित्तीय उन्नयन स्वीकृति संबंधी पात्रता में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संगीता सिंह) 18/9/26

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 6098

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०-सी०डी० ।


सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 6098

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वे०दा०नि०को०) विभाग से अनुरोध है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक-14.07.2010 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँचकर यथानुमान्य वेतनपूर्जा निर्गत किया जाय ।


सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 6090

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान प्रधान/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग /पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बक्सर, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-
ई-मेल

6098

/पटना, दिनांक-18/9/26

प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री मनीष कुमार मंजुल, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर(अतिरिक्त प्रभार- कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर एवं रोहतास, सासाराम)/श्री रोबिन कुमार तिवारी, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, बायसी, पूर्णियाँ(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ एवं कटिहार)/श्री गजेन्द्र कुमार यादव, प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर)/श्री प्रवेश कुमार, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, मुंगेर(अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-6098

/पटना, दिनांक-18/9/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।